प्रेषकः—

कार्य प्रबन्धक,
सिंचाई कार्यशाला खण्ड,
बरेली।

सेवा में ,

सूचना निदेशक,
सूचना निदेशालय,
उ0 प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः— /सिंकाखब/स0अभि0 (भ0)/नीलामी, दिनांक, बरेली 2018,

विषयः— नीलामी सूचना का प्रकाशन।

महोदय,

नीलामी की 12 प्रतियॉ संलग्न करते हुये आपसे अनुरोध है कि इसका प्रकाशन निम्न तालिकानुसार समाचार पत्रों में जो बरेली तथा समीप के मण्डलों में विस्तृत रूप में प्रचलित हैं, में दो—दो दिन के अन्तराल पर दो दिन प्रकाशित कराने का कष्ट करें। कृपया अपने स्तर से संबन्धित समाचार पत्रों के सम्पादकों को निर्देशित करने की कृपा करें कि वह प्रकाशन से संबन्धित पत्र की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे प्रकाशन की पुष्टि एवं पत्रावली में संचित की जा सके।

क्रम सं0	समाचार पत्रों का विवरण
1—	अमर उजाला, बरेली।
2—	दैनिक जागरण, बरेली।
3—	हिन्दुस्तान, बरेली।
4—	द फाईनेन्सियल एक्सप्रेस।
5—	इकानामिक टाइम्स।
6—	टाइम्स ऑफ इण्डिया।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

1— नीलामी सूचना 12 प्रतियों में।
2— सी0 डी0—01 नग।

कार्य प्रबन्धक
सिंचाई कार्यशाला खण्ड
बरेली

पत्रांकः— /सिंकाखब/स0अभि0 (भ0)/नीलामी , तदिनांक— 2018

प्रतिलिपि उपरोक्त नीलामी सूचना के सन्दर्भ में एक प्रति अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1— प्रमुख अभियन्ता (यॉत्रिंक), सिंचाई विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
2— मुख्य अभियंन्ता, सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध अनुभाग, गंगा सिंचाई भवन तेली बाग लखनऊ को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में ।
3— वित्त नियंत्रक, सिचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं प्रतिनिधि को नामित करने हेतु प्रेषित है।
4— अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यशाला मण्डल—प्रथम,67— ए0 कैन्ट, कानपुर।
5— अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, बरेली।
6— अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्युटर केन्द्र,कार्यालय,प्रमुख अभियन्ता (यॉत्रिंक) सिंचाई विभाग उ0प्र0, लखनऊ को उक्त की सी0डी0 इस आशय से प्रेषित है कि कृपया अपनी वैबसाइट www.idup.gov.in पर नीलामी की सूचना को डिस्प्ले करने की कृपा करें।
7— जिलाधिकारी बरेली।
8— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली।
9— मुख्य कोषाधिकारी बरेली।
10— अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड/रूहेलखण्ड नहर/हेड वर्क्स खण्ड, शारदा नहर, बरेली।

कृमशः .....2..

11— अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड–प्रथम/द्वितीय, बरेली।
12— कार्य प्रबन्धक, सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ/झांसी व कानपुर।
13— अधिशासी अभियन्ता, स्थापन खण्ड, कानपुर, बैराज यॉन्त्रिक अनुरक्षण खण्ड, कानपुर/वाराणसी।
14— थाना प्रभारी, थाना इज्जत नगर, बरेली।
15— खण्डीय लेखाधिकारी, सिचाई कार्यशाला खंड, बरेली ।
16— सहायक अभियन्ता (भण्डार)/कार्य –प्रथम/कार्य –द्वितीय/ नियोजन/पंचम, सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली।
17— नोटिस बोर्ड।
18— कट फाइल हेतु।

कार्य प्रबन्धक
सिंचाई कार्यशाला खण्ड
बरेली

कार्यालय कार्य प्रबन्धक
सिंचाई कार्यशाला खण्ड
बरेली

नीलामी सूचना संख्या–01/2018–2019

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली के परिसर में निम्नांकित तालिका के अनुसार एम0एस0 स्क्रेप की नीलामी दिनांक 21.06.2018 अपरान्ह 03.00 बजे विभागीय भण्डार, सिंचाई कार्यशाला खण्ड, नैनीताल रोड, इज्जत नगर, बरेली के परिसर में होगी। इच्छुक व्यक्ति एम0 एस0 स्कैप का निरीक्षण नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सांयः 3.00 बजे तक उक्त स्थान पर सहायक अभियन्ता (भण्डार)/अवर अभियन्ता (भण्डार) सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली से सम्पर्क करके कर सकते हैं। बोली बोलने वालों को बोली की तिथि को अपरान्ह 12.00 बजे तक निम्न तालिका के अनुसार धरोहर राशि नगद कार्यालय सिचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली में जमा करनी होगी एवं उसे पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड एवं जी0एस0टी0 प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति जमा कर टोकन प्राप्त करना आवश्यक होगा। उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की धनराशि की 25 प्रतिशत (एक चौथाई) धनराशि, घरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए नीलामी समाप्त होने पर तुरन्त जमा करनी होगी अन्यथा बोलीदाता द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर जमा कर ली जायगी। नीलामी की बोली सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात्, सूचना मिलते ही उच्चतम बोलीदाता द्वारा शेष धनराशि + नीलामी की कुल धनराशि पर देय जी0एस0टी0 सहित कुल धनराशि 07 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी। जिसे जमा न करने पर बोलीदाता के पक्ष में स्वीकृत की गयी नीलामी को निरस्त करते हुए उसकी जमा की गयी धनराशि सरकार के पक्ष में जव्त कर ली जायेगी। अन्य बोली दाताओं की धरोहर धनराशि नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद अवमुक्त कर दी जायेगी।

तालिका

क्र0सं0	सामग्री का नाम	मात्रा	धरोहर राशि
1–	एम0एस0स्क्रेप	195.00 मी0टन	5.00 लाख

शर्तें:–

1– एम0एस0 स्कैप की बोली ''जहां है जैसा है'' के आधार पर की जायेगी एवं बोली प्रति किलोग्राम के अनुसार लगाई जायेगी।

2– एक या समस्त बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है इस सम्बन्ध में नीलामी बोली दाताओं का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

3– बोली की धनराशि पर नियमानुसार जी0एस0टी0 बोली की राशि से अतिरिक्त बोलीदाता द्वारा विभाग को अलग से देय होगा।

4– नीलामी के संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो आर्वीटेटर के रूप में अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यशाला मण्डल प्रथम, कानपुर का निर्णय सर्वमान्य होगा।

5– बोली स्वीकृत होने पर बोलीदाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि देय सभी करों सहित जमा करने के उपरान्त सात दिनों के अन्दर ही एम0एस0 स्कैप बोलीदाता द्वारा अपने खर्चे पर वजन कराकर उठानी होगी अन्यथा विभाग द्वारा प्रतिदिन के हिसाव से बिलम्व शुल्क अलग से लगाया जा सकता है। एम0एस0 स्कैप प्राप्त करने के पूर्व बोलीदाता द्वारा पहचान के रूप में पैनकार्ड/मतदाता पहचान–पत्र/ आधार कार्ड एवं जी0एस0टी0 प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्रेषित करनी होगी।

6– उक्त तिथि पर किन्ही कारणों से नीलामी नहीं की जाती है तो किसी का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा एवं सभी प्रकार के सम्पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होंगे।

7– उक्त प्रकरण में कोई भी विवाद बरेली न्यायालय के अधीन होगा।

8– बोली स्वीकृत होने तक अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा जमा की गयी धनराशि पर किसी प्रकार का व्याज अथवा अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा।

कार्यप्रबन्धक
सिंचाई कार्यशाला खण्ड
बरेली